

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अंराई (अजमेर)

छोटी देवी पत्नि लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अंराई, जिला अजमेर राज0 वर्ग.

प्रार्थी

बनाम

1. जसोदा पत्नि पोखर जाति जाट निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अंराई, जिला अजमेर वर्ग.

किरम मुकदमा - 53,188 राज0 काश्तकारी अधि0

अप्रार्थीगण

नंबर 398 / 2020

ऑनलाइन नंबर 2020 / 50344

वकील वादीगण रामदेव जी गुर्जर

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.09.2020	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव जी गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
15.10.2020	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. प्रतिवादी स. 1 लगामत 16 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त जो शामिल मिलल। प्रतिवादी स. 1 लगामत 16 अनुपस्थित। पत्रावली दिनांक 10.12.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
10.12.2020	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. प्रतिवादी स. 1 चुनाव काम में व्यक्त। पत्रावली दिनांक 02.02.2021 को पेश हो। Nandhi's	
02/2/2021	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। नियमित पत्रावली दिनांक 19/3/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

तारीख हुकम

तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी

13/5/2024

पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षागारान उप. / अज्ञात... हेतु समय... से... पत्रावली दिनांक... का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी अराई

20/5/24

DN. 398/2024 धीरे प/र जशोदा

वकील वादी द्वारा प्राप्य वाक्ते अजेन्ट सुनवाई पेश किये के पत्रावली लिपि लिपि ने पूर्व आज तलब की गई वकील वादी ने राजी नाम प्रा. पत्र की पेशगी वादीगण रतना, रिश्कवर लक्षण, सुगनी, मोना व छोटी सुमा परिवार ने भी चन्द्र उप. होकर अरिष्ट वकील निकर लिया कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक सपावर की जापना से राजी नाम हो चुका है वे अब परामर्श का प्रेष नहीं चाहते हैं अतः वाड को खारिज फरमाया जाये और वकील वादी को सुना गया अतः राजी नाम के आधारे वादी सुमा वाड डी स्तर पर खारिज किया जाता है प्रा. पत्र पेश सुमा होकर नम्बर का प्रदान करा

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'रतना', 'रिश्कवर', 'लक्षण', 'सुगनी', 'मोना', 'छोटी', 'सुमा'.

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)